

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2020—माघ 25, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2020

क्र. एफ ए-3-50-2019-1-पांच(07).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 146 के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का नियम 48 का उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त नियमों के नियम 48 के उपनियम (4) के निबंधनों में बीजक तैयार करने के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित को सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

- (i) www.einvoice1.gst.gov.in;
- (ii) www.einvoice2.gst.gov.in;
- (iii) www.einvoice3.gst.gov.in;
- (iv) www.einvoice4.gst.gov.in;
- (v) www.einvoice5.gst.gov.in;
- (vi) www.einvoice6.gst.gov.in;
- (vii) www.einvoice7.gst.gov.in;
- (viii) www.einvoice8.gst.gov.in;
- (ix) www.einvoice9.gst.gov.in;
- (x) www.einvoice10.gst.gov.in.

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये, उपरोक्त उल्लिखित वेबसाइटों से माल और सेवा कर नेटवर्क, एक ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित है, द्वारा व्यवस्थित वेबसाइट अभिप्रेत है.

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2020 को प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2020

क्र. एफ ए-3-50-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-50-2019-1-पांच (07), दिनांक 14 फरवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 14th February 2020

No. F A-3-50-2019-1-V(07).—In exercise of the powers conferred by Section 146 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) read with sub-rule (4) of rule 48 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby, notifies the following as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for the purpose of preparation of the invoice in terms of sub-rule (4) of rule 48 of the aforesaid rules, namely :—

- (i) www.einvoice1.gst.gov.in;
- (ii) www.einvoice2.gst.gov.in;
- (iii) www.einvoice3.gst.gov.in;
- (iv) www.einvoice4.gst.gov.in;
- (v) www.einvoice5.gst.gov.in;
- (vi) www.einvoice6.gst.gov.in;
- (vii) www.einvoice7.gst.gov.in;
- (viii) www.einvoice8.gst.gov.in;
- (ix) www.einvoice9.gst.gov.in;
- (x) [www.einvoice10.gst.gov.in.](http://www.einvoice10.gst.gov.in;)

Explanation.—For the purposes of this notification, the above mentioned websites mean the websites managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.